

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर, मध्य प्रदेश

R-471-II/12



श्री रामकृपाल तनय मुनिमाधव राम ब्रा. निवासी ग्राम सलैया, तहसील हनुमना जिला रीवा, म०प्र० -

हनुमना, जिला रीवा, म०प्र० -

निगरानीकर्ता

बनाम

1- मुस. मनबसुआ, बेवा पत्नी रामखेलावन राम ब्रा. निवासी सलैया, तहसील हनुमना, जिला रीवा, म०प्र०,

हनुमना, जिला रीवा, म०प्र०,

2- शासन म०प्र० -

गैरनिगरानीकर्ता/गण

निगरानी विरुद्ध न्यायालय कलेक्टर जिला

रीवा, म०प्र०, के प्र. क्र. 76/अ-74/निगरानी

10-11, पारित आदेश दिनांक 25.6.12

निगरानी अंतर्गत धारा 50, म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 ई. 1

4/12/12

मान्यवर,

निगरानी के आधार :-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. 76/अ-74/निगरानी/10-11 पारित आदेश दिनांक 25.6.12 का आलोच्य पारित आदेश विधि प्रक्रिया एवं दस्तावेज के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2:- यह कि विचारण न्यायालय में उभयपक्षों के मध्य बटवारा नामांतरण प्रकरण संबन्धित था, जिसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी हनुमना द्वारा दिनांक 10.6.10 को प्रकरण में सुनवाई करते हुये, विचारण न्यायालय के लिए


M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०नि 4171-दो/12

जिला-रीवा

रामकृपाल / मुस० मनवसुआ

(1)	(2)	(3)
18.01.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

n